उत्तर प्रदेश शासन

पिछडा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

संख्या-960/2021/22/2021/64-2003/7/2019

लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/ 2013/ 64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013 द्वारा उ0 प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 प्रख्यापित की गयी है, जो शैक्षिक सत्र 2012-13 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के संगत प्रावधानों में प्रथम संशोधन शासनादेश सं0-61-1(छात्रवृत्ति)/ 2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा द्वितीय संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा तृतीय संशोधन कार्यालय ज्ञाप सं0-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा, चतुर्थ संशोधन कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013,दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा एवं पंचम संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/902/ 64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा किया गया है।

2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र संख्या-1068/पि0व0क0/2021-22, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ0 प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 यथा संशोधित नियमावली-2017 के नियम-5(xi) 2 (iii) में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

उ0 प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (षष्टम संशोधन) नियमावली-2021

वर्तमान नियम				**प्रस्तावित नियम**			
5	शुल्क/फीस	(xi)	2(iii)- समूह-3 व 4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा तकनीकी डिप्लोमा कोर्सों हेतु रू0 20000/- तथा गैर तकनीकी कोर्सो/ 01वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्सों हेतु रू0 10000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।	5	शुल्क/फीस	(xi)	2(iii)- समूह-3 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 20000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।
			-				2(iv)- समूह-4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 10000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013, शासनादेश सं0-61-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी, 2013, कार्यालय ज्ञाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप सं0-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2014, कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013,दिनांक 19 अगस्त, 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित/संशोधित नियमावली के शीर्ष प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त विभाग/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, एन0आई0सी0, उ0 प्र0 योजना भवन, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित समस्त अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली, उ0 प्र0 लखनऊ।
9- समस्त उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0।
10- समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0 प्र0।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।